सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या – 340 राँची, सोमवार, 25 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

8 जून, 2022

संख्या-4/प्रोन्नति-03-01/2020 का॰ 3542--WP(S) No. 3843/2021 राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3405/2021 रश्मि लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No.1390/2021 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S) No.1422/2021 राम सागर तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः

"34. As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, I find impugned order issued vide Memo No. 6752, dated 24.12.2020, by the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Government of Jharkhand, is not tenable in the eyes of law and the same is hereby quashed and set aside. As a result of quashment of the blanket order of stay, I, hereby, direct the concerned head of the departments to grant promotion to the petitioners whose cases were considered for promotion by the Departmental Promotion Committee, within a period of four weeks from

today. State is further directed to come out with Notification regarding promotion to all such petitioners who have knocked door of this Court with all consequential benefits irrespective of the fact that they have retired. Their cases will be considered from retrospective effect i.e. the date on which they have been found fit for promotion. Since blanket order of stay has been quashed, it is further directed to all head of the departments to consider case of employees for promotion who are otherwise found fit for promotion and if there is no any other legal impediment."

2. विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी ।

3. दिनांक 24.12.2020 को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP(S) No. 3843/2021 राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S) No.3405/2021 रश्मि लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया था ।

4. विभागीय पत्रांक-3463 दिनांक-03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी स्थगन सम्बन्धी आदेश संख्या-6752 दिनांक-24.12.2020 को आहरित करते हुए विभागीय पत्रांक3479 दिनांक-03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति की कार्रवाई का आदेश दिया गया है ।

5. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800, ग्रेड पे-5400, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-9) के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600-39,100, ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में प्रोन्नति पर विचार हेतु दिनांक 24.12.2020 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई थी ।

6. समिति द्वारा कुल 131 पदाधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में अनुशंसा की गई थी तथा एक अन्य पदाधिकारी श्री मनमोहन प्रसाद के सम्बन्ध में निम्नांकित अनुशंसा की गई:-

"मांडू (चरही) थाना कांड सं० 251/2008 में आरोप पत्र दायर होने की सम्पुष्टि कर ली जाय। अन्यथा प्रोन्नति के योग्य ।

7. विभागीय आरोप प्रशाखा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दिनांक-24.12.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रोन्नति हेतु अनुशंसित झा०प्र०से० के 132 पदाधिकारियों के सम्बन्ध में आरोप, विभागीय कार्यवाही, प्राथमिकी, अभियोजन स्वीकृति, आरोप पत्र तथा दण्ड की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 के आलोक में निम्नांकित तीन पदाधिकारियों की प्रोन्नति प्रभावित होगी ।

8. संकल्प संख्या-6227 दिनांक-20.11.2008 की कंडिका-11 में अंकित प्रावधान - विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के बाद कंडिका - 2(i) की स्थिति सामने आना :-कोई सरकारी सेवक, जिसकी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में कंडिका-2 (i) में उल्लिखित कोई स्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी प्रोन्नति होने से पहले सामने आती है, तो उन पर उसी प्रकार से विचार किया जायेगा जैसे कि विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया होता। ऐसे सरकारी सेवक को तब तक प्रोन्नत नहीं किया जाएगा जब

तक उसे उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाय और इस संकल्प में दिए गए उपबन्ध उसके मामले में भी लागू होंगे ।

कंडिका-2 (i) में सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ने का निदेश निर्गत है:-

(क) निलम्बित सरकारी सेवक

(ख) सरकारी सेवक, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक, जिन पर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो ।

9. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 के आलोक में (i) डॉ० ज्योति कुमार सिंह, कोटि क्रमांक-13/20 **(विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 18)** के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-1919 दिनांक-24.02.2021 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

(ii) श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से०, कोटि क्रमांक-173/20 **(विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 84)** के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-16258 (एच०आर०एम०एस०) दिनांक-27.08.2021 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है ।

(iii) श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से०, कोटि क्रमांक-179/20 **(विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 90)** को विभागीय अधिसूचना संख्या-1676 (एच०आर०एम०एस०) दिनांक-15.02.2021 द्वारा निलम्बित किया गया है ।

10. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-11 में वर्णित प्रावधान के आलोक में कंडिका-9 में अंकित डॉ० ज्योति कुमार सिंह, झा०प्र०से०, श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से०, एवं श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० की प्रोन्नति उनके विरूद्ध लगाये गए आरोपों से दोषमुक्त होने तक लम्बित रखा जाता है। इन पदाधिकारियों के आरोप मुक्त होने के बाद इनकी प्रोन्नति हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 340 – 50